राज्य द्वारा एडीपीओ। अभियुक्त सहित अधिवक्ता पी०एस० गुर्जर उप०।

आभयुक्त सहित अधिवक्ता पी०एस० गुर्जर उप०। प्रकरण अपराध विवरण हेतु नियत है। अभियुक्त ने निवेदन किया कि वह स्वेच्छा पूर्वक अपराध स्वीकार करना चाहता है।

चूंकि मामला संक्षिप्त विचारणीय हैं। अतः संक्षिप्त विचारण प्रांरभ किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध धारा 113/194 (1) मोटरयान अधिनियम के अधीन अपराध की विशिष्टियां विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये और समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया। अतः अभिवाक् यथा संभव उसके शब्दों में लेखबद्ध किया गया।

अभियुक्त की स्वेच्छया अपराध की स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए निर्णय प्रथक से टंकित कराकर हस्ताक्षरित, दिनांकित, मुद्रांकित कर घोषित किया गया। अभियुक्त को उक्त अपराध के अधीन दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय अवसान तक की अवधि के दण्ड एवं 6000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को 30 दिवस का साधारण कारावास भ्गताया जावे।

2000

200 May 200 Ma

निर्णय की निःशुल्क प्रति अभियुक्त को प्रदान कर पावती ली जाये।

जप्तसुदा संपत्ति पूर्व से सुपुर्दगी पर है अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि बाद बंधनमुक्त हो, अपील की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशों का पालन

प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी में पंजीबद्ध कर विहित अवधि में अभिलेख संचयन हेत् आवश्यक प्रतिपूर्ति उपरांत अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

ate of der or ceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Signature of Parties or Pleaders where necessary

पुनश्च:

निर्णयानुसार अभियुक्त/अभियुक्तगण ने अर्थदण्ड की जिसकी पावती कि कि जिसकी पावती कि कि स्थान की जिसकी पावती के सुगताई गई। अभियुक्त के भुगताई गई।

प्रकरण उपरोक्त निर्देश अनुसार संचित हो।

(A.K.Gupta)

Judicial Magistrate First Class
Gohad distt.Bhind (M.P.)

राशि बुक सजा

रामधी